

# संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश

( "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www-ayush.mp.gov.in  
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755) 2552562  
Fax (0755) 2760225

भोपाल, दिनांक : ०२/१२/२०२४

// सूचना-पत्र //

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर द्वारा प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों हेतु व्याख्याताओं के चयन पश्चात पदस्थापना हेतु, म.प्र. लोक सेवा अयोग द्वारा चयनित व्याख्याताओं की भौतिक काउंसिलिंग/च्वाईस फिलिंग पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल के ऑडिटोरियम में दिनांक 10.12.2024 को 1-अगदतंत्र, 2-संहिता सिद्धांत, 3-द्रव्यगुण, 4-कौमारभृत्य, 5-कायचिकित्सा, 6-क्रिया शारीर, 7-पंचकर्म एवं 11.12.2024 को 8-प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, 9-रचना शारीर, 10-रसशास्त्र एवं भेषज्यकल्पना, 11- रोगनिदान, 12-शालाक्य तंत्र, 13-शल्यतंत्र, 14- स्वस्थवृत्त को कराई जाना है।

महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व दिनांक 10/12/2024 एवं 11/12/2024 को प्रातः 10:00 से स्थान-पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, के ऑडिटोरियम में, पता- एम.ए.सी.टी. के पीछे साइन्स हिल्स, कलियासोत डेम के पास, नेहरू नगर, कोलार वायपास रोड, भोपाल में अपने समस्त मूल अभिलेख एवं 02 सेट छायाप्रति के साथ अभिलेख के परीक्षण/सत्यापन हेतु उपस्थित हो।

इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु निम्न दूरभाष नम्बर पर संपर्क किया जा सकता है।

अधिकारी का नाम	दूरभाष क्रमांक
डॉ. विपिन तोमर, उप संचालक, संचालनलाय आयुष भोपाल, म.प्र.	8849616639
डॉ. निधि, उप संचालक, संचालनलाय आयुष भोपाल, म.प्र.	9407101108

संलग्न:- चेक लिस्ट विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

नोट:- यह सूचना पत्र केवल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी किया जा रहा है।

यह किसी प्रकार की नियुक्ति आदेश से संबंधित नहीं है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ० उमेश शुक्ला)  
प्रधानाचार्य एवं  
काउंसिलिंग समिति अध्यक्ष  
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय  
स्वशासी आयुर्वेद  
महाविद्यालय एवं संस्थान,  
भोपाल, म.प्र.

चेक लिस्ट

क्रमांक	अभिलेख
1.	1.1- माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा समकक्ष द्वारा जारी हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट/समकक्ष की अंकसूची। 1.2- जन्म तिथि के सत्यापन हेतु वैध प्रमाण पत्र (10 वी/जन्म प्रमाण पत्र)
2.	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एन.सी.आई.एस.एम/सी.सी.आई.एम. में द्वारा मान्य स्नातक उपाधि।
3.	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एन.सी.आई.एस.एम/सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि।
4.	म.प्र. आयुर्वेद यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का स्थाई जीवित पंजीयन। फार्म भरने की अंतिम तिथि तक। पृथक-पृथक सभी विषयवार अभ्यर्थी अपने जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो।
5.	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक तक पृथक-पृथक सभी विषयवार अभ्यर्थी इंटरनेट पर पूर्ण प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो।
6.	आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
7.	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।)
8.	दिनांक 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात तीसरी संतान न होने के संबंध में नोटरीज्ड शपथ पत्र।
9.	आधार कार्ड/वैध परिचय पत्र।
10.	अनुप्रमाणन फार्म (पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु) 100 रुपये राशि के स्टॉप पर शपथ पत्र सहित। (प्रारूप संलग्न) दो प्रतियों में।
11.	पासपोर्ट साइज फोटो 04।
12.	समस्त अभिलेखों के दो सेल्फ अटेस्टेड सेट।
13.	दिव्यांगता कोटे से चयन होने पर दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र जिला विकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम स्थायी, स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। समाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय म.प्र. के परिपत्र क/दि. स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 के उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <a href="http://www.swavlambancard.gov.in">http://www.swavlambancard.gov.in</a> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होगा।
14.	रोजगार कार्यालय से प्राप्त जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

(डॉ० उमेश मुखला)  
प्रधानाचार्य, समिति अध्यक्ष  
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय  
स्वशस्त्री आयुर्वेद महाविद्यालय एवं  
चिकित्सालय, भोपाल, म.प्र.